कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–2/स्थानांतरण/इतिहास/2019–20/ दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्रीमान् शैतान सिंह व्याख्याता, इतिहास राउमावि हेमागुडा, चितलावना, जालोर का स्थानांतरण राउमावि खोखा, भीनमाल, जालोर किया गया। श्री शैतान सिंह द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15834/2019 शैतान सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री शैतान सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के स्थानान्तरण स्थान (खोखा–जालोर) से अपने घर की दूरी 125 किलोमीटर के आधार पर अपना पदस्थापन 1.राउमावि, हेमागुडा–जालोर यथावत रखने 2.राउमावि धानता, सांचोर–जालोर 3.राउमावि सांचोर, जालोर करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है की लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं कि जा सकती। अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अतःउपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मात्र दूरी के आधार पर याचिकार्थी द्वारा यथावत/वांछित स्थान पर रहने की मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–2/अभ्यावेदन/शैतान सिंह/को.के/18–19

दिनांकः– 04/10/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।

3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जालोर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री शैतान सिंह को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि. हेमागुडा, चितलावना, जालोर /राउमावि खोखा, भीनमाल, जालोर।
9. कार्मिक शैतान सिंह व्या0 इतिहास राउमावि हेमागुडा, जालोर।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर